



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजि

उपखण्ड ..... सहायकाराज ..... बनाव .....  
 किस्य मुकदमा ..... मुकदमा नं. ....  
 255/2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
26-7-23	पत्रवली पेश हुई। वकूलाय करिकेन उपस्थित / पीएम अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06-11-23 को पेश हो। 
06-11-23	पत्रवली पेश हुई। वकूलाय करिकेन उपस्थित / पीएम अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29-4-24 को पेश हो। 
10-06-24	दिनांक 29-4-24 को पत्रवली पेश हुई पर पत्रवली का पत्र पेश नहीं जा सका। उपरोक्त दिनांक को समाप्त पत्रवली पेश करने वाले पूर्व से 80 अक्षरों में पूरक है। आदेशित से अंतिम अक्षर जाता है। वही पत्र पेश करने समाप्त पत्रवली दिनांक 19-6-24 को पेश की।
19-6-24	पत्रवली पेश हुई। वकील वादगी प्रकरण में डोरें समाप्ति तक रुक-2 6) वार- दिनांक जारी। वकील वादगी में से डोरें अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील वादगी

  
 सहायक क्लर्क (सि)  
 श्रीवांगपुर (सि)



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

सदम नारायण

व नाम क डी 34 फेब्रु

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इ  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

दावा

क्र. - 255/2012

अनुपास्थि में दावा वादपत्र वाकत तहसिल व  
स्थानी निवेद्या (अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान  
साक्षरता अधिनियम) को अदम पैरवी व अदम धरणी  
में रजिस्ट्रार किया जाता है। पत्रावली फंसल सुमार  
को वाद तहसिल दायित्व दफ्तर है।



सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)